

Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR - III
JAIPUR

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2010053003497	Date	19/08/2010
Presenter Name	SITARAM	Document S. No	2010053003861
Presenter/Property Address	VILL. KALWAR TEH. JAIPURnullnull		
Document Type	Sale Deed (Conveyance deed)		
Claimant Name	SMT. INDU CHOUDHARY	Payment Mode	Cash
Face Value	1100000	Stamp Value	15000
	Evaluated Value	1885000	
Ord- registration fee	18350	commission	0
csi_more_50000	300	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	76750	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection fee	0
	Total :		95400

Ninety Five Thousand Four Hundred Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-III



राजस्थान RAJASTHAN

श्री

11 विक्रय-पत्र 11

सह विक्रय-पत्र आज दिनांक 18 अगस्त 2010 ईस्वी को श्री सीता राम पुत्र स्व० श्री हुक्मा जाति माली उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी-ग्राम कालवाड तहसील जयपुर जिला जयपुर राज० के है, इन्हें इस विक्रय-पत्र के लेख-पत्र में नीचे प्रथमपक्ष विक्रेता शब्द से सम्बोधित किया गया है, की ओर से-

बहक

विवेक शिक्षा समिति, रजि० नं० 453 जयपुर 2007-8, कालवाड तहसील व जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्रीमति इन्दू चौधरी धर्मपत्नि श्री योगेश बिन्दा जाति जाट उम्र करीबन 30 वर्ष नि० गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, जयपुर राज० इन्हें इस विक्रय-पत्र के लेख में नीचे द्वितीयपक्ष क्रेत्री (समिति) शब्द से सम्बोधित किया गया है, के हित में निम्न प्रकार से लेखबद्ध किया गया है:-

जो कि कृषि भूमि वाके-ग्राम कालवाड पटवार हल्का कालवाड

2.7.1. सीता ११५

(Indu Chaudhary)

उप-पंजीयक
तृतीय

क्रमांक 87 दिनांक 18/08/2010

मूल्य 10000 + 5000 = 15000/-

नाम

पिता/पति

पता

वास्तविक

विवेक शिक्षा समिति लालबाग जयपुर
श्रीमती इन्दु चौधरी

Rakesh

राकेश कुमार रुडला

ला० स्टाम्प विक्रेता

शिव नगर, मुरलीपुरा जयपुर

ला० नं० 37/10-11

18/08/2010



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

मू. अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कालकांड सहस्रोल जयपुर जिला जयपुर के राजस्थान RAJASTHAN अन्तर्गत खसरा नम्बर 514 (पुराना नम्बर-452) के अन्तर्गत खसरा नम्बर 815/1 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा स्थित है।

उक्त वर्णित प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अंकित चली आ रही है। उक्त वर्णित विक्रेता उक्त वर्णित भूमि का राजस्व लगान राज में अदा करता आ रहा है। इस प्रकार से उक्त वर्णित विक्रेता उक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण का एक मात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी तथा कर्बिज खातेदार कारशतकार चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि विक्रेता की ओर से आज तक हर प्रकार के सरकारी, अर्द्ध सरकारी जन साधारण बैंक संस्था आदि के बाद विवाद ऋण भार झगडा टन्टा आदि से मुक्त एवम पवित्र है, तथा विक्रेता को उक्त वर्णित कृषि भूमि को हर प्रकार से हस्तान्तरित एवं विकसित करने के सम्पूर्ण वैधानिक हक व अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रुपयों की सरत जरूरत होने के कारण से उक्त वर्णित भूमि का हिस्सा 1/2 अधिभाजित को विक्रय करना चाहता है तथा केंद्री

मू. पंजीयन
जयपुर - पंजीयन

Indira Gandhi

-3-

उक्त वर्णित भूमि के हिस्से को अपने लिये क्रय करना चाहती है, अतएव प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त वर्णित कृषि भूमि दाके-ग्राम कालवाड पटवार हल्की कालवाड तहसील एवम जिला जयपुर के अन्तर्गत खाता संख्या-514 (पुराना नम्बर-452) के अन्तर्गत खसरा नम्बर 815/1 रकबा 03 बीघा 04 बिरवा स्थित का हिस्सा 1/2 अविभाजित को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकारों मय इसमें स्थित छोटे मोटे पेड़ पौधों मय हक कास्त सहित को मुहलिंग 11,00,000/-रुपया अक्षरे ग्यारह लाख रुपये मात्र के बदले में उक्त वर्णित क्रेत्री-द्वितीयपक्ष विवेक शिक्षा समिति, रजि० नं० 453 जयपुर-2027-8, कालवाड तहसील व जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्रीमति इन्दू चौधरी धर्मपति श्री योगेश बिन्दा जाति जाट उम्र करीबन 30 वर्ष नि० गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, तहसील व जिला जयपुर राज० को अन्तिम रूप से बेचान कर दिया है, तथा उक्त विक्रेता ने उक्त क्रेता से समस्त विक्रय राशि 11,00,000/-रुपये अक्षरे ग्यारह लाख रुपये मात्र बैंक नम्बर 205992 दिनांक 18/08/2010 बैंक-जयपुर धार ग्रामीण बैंक शाखा झोटवाडा फाटक, कांटा चौराहा, कालवाड रोड, जयपुर के द्वारा इस लेख-पत्र पर निम्न दो हस्ताक्षर कर्ता गयादान को सम्मक्ष प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति उक्त प्रथमपक्ष विक्रेता इस लेख-पत्र में स्वीकार करता है, अब प्रथमपक्ष विक्रेता को उक्त क्रेत्री से विक्रय राशि में से शेष कुछ भी लेना-देना नहीं रहा है, और न ही भविष्य में रहेगा।

यह है कि विक्रय शुदा कृषि भूमि रकबा 03 बीघा 04 बिरवा का हिस्सा 1/2 अविभाजित पर विक्रेता ने उक्त वर्णित क्रेत्री का मालिकाना कब्जा भीतिक रूप से करवा दिया है। जो प्रथमपक्ष विक्रेता ने इस लेख-पत्र में स्वीकार करता है। अब उक्त वर्णित क्रेत्री उक्त वर्णित विक्रय शुदा भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग एवम उपभोग में लेवे तथा इसमें स्वयं कास्त करेगी व अन्य से कास्त करवायेगी एवम अपने धन से

2.5.1 श्रीता 514

Indu Chaudhary

विकसित करेगी तथा हर प्रकार का लाभ अर्जित करेगी, इसका लगान अपने नाम से सरकार में जमा करावेगा उक्त विक्रय शुदा कृषि भूमि को हर प्रकार से विकसित एवम रहन-इय, विक्रय आदि के द्वारा हस्तान्तरित करके इन प्रकार का लाभ व फायदा अर्जित करेगी।

यह कि उक्त विक्रय शुदा भूमि से अब विक्रेता व विक्रेता के उत्तराधिकारी व स्थानापन आदि का कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व वास्ता नहीं रहा है और ना भविष्य में किसी प्रकार का होगा।

यह कि उक्त विक्रय शुदा भूमि के बायत में अन्य कोई दूसरा व्यक्ति अपने सारोदारी व स्वामित्व हकों का किसी प्रकार का दावा व विवाद उत्पन्न करे तो इनकी जिम्मेदारी विक्रेता स्वयं की होगी, तथा उसका निपटारा व सुलझा विक्रेता अपने स्वयं के धन से करेगा।

यह है कि बाके-ग्राम कालवाड पटवार हल्का कालवाड तहसील एवम जिला जयपुर के अन्तर्गत खसरा नम्बर 815/1 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा स्थित का हिस्सा 1/2 आविभाजित कृषि भूमि को अब इस विक्रय पत्र के द्वारा प्रथमपक्ष विक्रेता के स्थान पर उक्त वर्णित क्रेत्री को नाम से राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण नियमानुसार खुलवाने का तथा तस्दीक अपने नाम से कराने का समस्त राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है, तथा भविष्य में रहेगा, इसमें प्रथमपक्ष विक्रेता के बयानों व हस्ताक्षर व स्वयं की उपस्थिति की आवश्यकता होगी, तो उक्त वर्णित विक्रेता उक्त क्रेत्री के हित में विक्रय का बयानात दे देगा, तथा अपने हस्ताक्षर कर देगा, जो भी मदद होगी करेगा, तथा इस विक्रय पत्र के द्वारा बाला-बाला भी विक्रय शुदा भूमि का राजस्व रेकार्ड में उक्त क्रेत्री नामान्तरण अपने नाम से करवाने का भी पूर्ण हक व अधिकार होगा।

यह कि विक्रय शुदा भूमि मुख्य रोड व आबादी से 1/2 किलोमीटर

(Signature)
Rajendra Singh

पत्र 5-4 के तहत प्रमाण-पत्र
 प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पर
 की नकल/कॉपी नम्बर 1830000
 नम्बर 76750 पर की गई प्रमाणित प्रमाण नम्बर 18350 नम्बर 91300 की गई प्रमाण नम्बर
 [200003003000]
 दिनांक (19-8-2010) में प्राप्त किया गया है।
 इस प्रमाणित की नम्बर 91750
 के नम्बरों पर प्रमाणित प्रमाण नम्बर है।

(201003003061) 76 नम्बर, 18300-III
 (Sale Deed (Conveyance deed))

अब दिनांक 19-8-2010 को
 प्रमाण नम्बर 1 दिनांक नम्बर 329
 में प्रमाण नम्बर 342 अब प्रमाण नम्बर 201003003061 पर
 प्रमाणित किया गया और प्रमाणित
 प्रमाण नम्बर 1 दिनांक नम्बर 1340
 के प्रमाण नम्बर 342 के 401
 पर प्रमाणित प्रमाण।

(201003003061) 76 नम्बर, 18300-III
 (Sale Deed (Conveyance deed))



से अधिक दूरी पर स्थित है एवम कृषि भूमि की किस्म बाराही है तथा इसमें एक पानी का बोरिंग नय विद्युत कनेक्शन का हिस्सा 1/2 भी सम्मिलित है। उक्त बिचौली भूमि कृषि भूमि है, तथा कृषि के प्रयोजनार्थ ही उपयोग व उपभोग में आ रही है। इसलिये विक्रय शुदा भूमि वर्तमान मार्केट वैल्यू में जरे कीमत अधिक नहीं है।

अतः यह विक्रय-पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी राजी-खुशी की अवस्था में बिना किसी नशे फते के कीमती स्टाम्प 15,000/-रुपया किता दो किता व तीन किता पाई पेरों पर निम्न दो हस्ताक्षर कर्त्ता गवाहान के समझ इस लेख-पत्र की समस्त ईबारतों को भली प्रकार से पढ़, सुन व समझ एवम सोच करके अपने हस्ताक्षर एवम अंगूठा निशानी कर दी है, कि यका जरूरत काम आवे ओर प्रमाण रहे इति दिनांक 18/अगस्त/2010

हस्ताक्षर विक्रेता/प्रथमपक्ष - (श्री सीता राम)

पैन नम्बर-

हस्ताक्षर क्रेत्री/द्वितीयपक्ष -

(विदेक शिक्षा समिति, रजि० नं० 453 जयपुर 2007-8, कालवाड अरिथे
अध्यक्ष इन्दू चौधरी)

पैन नम्बर- AA8TV03610

हस्ताक्षर गवाह

सुरमान

श्री सुरमान शं० सीता राम

ग्राम- कालवाड तह- व जिला जयपुर

हस्ताक्षर गवाह

मोहन लाल

श्री मोहन लाल शं० राम चन्द

ग्राम- जयपुर जिला- जयपुर
इ ११११ जयपुर जयपुर



11 विक्रय-पत्र 11

बैठ विक्रय-पत्र आज दिनांक 28 अगस्त 2010 ईस्वी को श्री सीता राम पुत्र स्व० श्री हुक्मा जाति माली उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी-ग्राम कालवाड तहसील जयपुर जिला जयपुर राज० के है, इन्हें इस विक्रय-पत्र के लेख-पत्र में नीचे प्रथमपक्ष विक्रेता शब्द से सम्बोधित किया गया है, की ओर से-

बहक

द्विवेक शिक्षा समिति, राजि० नं० 453 जयपुर 2007-8, कालवाड तहसील व जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्रीमति इन्दू चौधरी धर्मपति श्री योगेश बिन्दा जाति जाट उम्र करीबन 30 वर्ष नि० गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, जयपुर राज० इन्हें इस विक्रय-पत्र के लेख में नीचे द्वितीयपक्ष क्रेत्री (समिति) शब्द से सम्बोधित किया गया है, के हित में निम्न प्रकार से लेखबद्ध किया गया है:-

जी कि कृषि भूमि वाले-ग्राम कालवाड पटवार हल्का कालवाड

4.7.2. 2/11/10

राजस्थान
जयपुर-पूर्वीय

(Signature)

Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR - III
JAIPUR

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

Fee Receipt No. 2010053003498 Date 19/08/2010
 Presenter Name SITARAM Document No. 2010053003862
 Presenter/Property Address VILL. KALWAR TEH. JAIPUR

Document Type Sale Deed (Conveyance deed)

Claimant Name SMT. INDU CHOUDHARY

Face Value 1100000

Payment Mode Cash
 Stamp Value 15000

Ord- registration fee	18350	commission	0
psi_more_50000	300	custody	0
stamp(memorandum)	0	reg(memorandum)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	76750	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_6_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	95400

Ninety Five Thousand Four Hundred Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR III

क्रमांक 86 दिनांक 18/08/2010

मूल्य 15000/- = 15,000/-

नाम

पिता/पति विवेक शिक्षा समिति, कागवाड जोर 38034

पता

वाले विठ्ठल-मठ श्रीमते ~~कागवाड~~ इन्द्र चौक

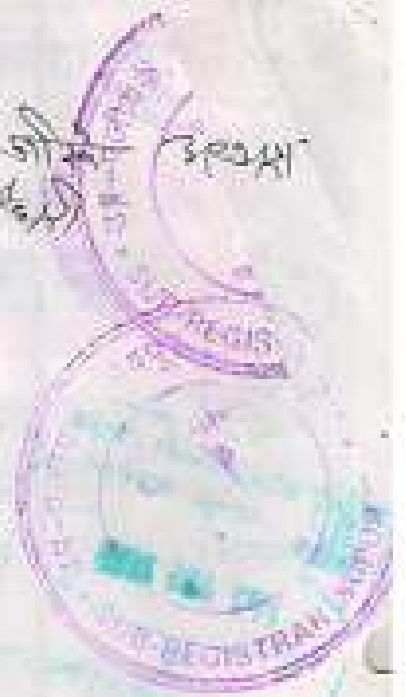
Rajesh
राजेश कुमार कडस

ला० सहाय्य विवेक

मिड नगर, मुरलीपुरा जयपुर

सा० नं० 27140-11

18/08/2010





मु-अमिताभ निरीक्षण क्षेत्र कालवाड तहसील जयपुर जिला जयपुर के राजस्थान RAJASTHAN अन्तर्गत खाता सख्या-514 (पुराना नम्बर-452) के अन्तर्गत खसरा नम्बर 815/1 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि

उक्त वर्णित प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अंकित चली आ रही है। उक्त वर्णित विक्रेता उक्त वर्णित भूमि का राजस्व लगान राज में अदा करता आ रहा है। इस प्रकार से उक्त वर्णित विक्रेता उक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण का एक मात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी तथा काबिज खातेदार कायतकार चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि विक्रेता की ओर से आज तक हर प्रकार के सरकारी, अर्द्ध सरकारी जन साधारण बैंक संस्था आदि के वाद विवाद ऋण भार ब्रगडा टन्टा आदि से मुक्त एवम् पवित्र है तथा विक्रेता को उक्त वर्णित कृषि भूमि को हर प्रकार से इस्तान्तरित एव विकसित करने के सम्पूर्ण वैधानिक हक व अधिकार प्राप्त है।।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रुपयों की सख्त जरूरत होने के कारण से उक्त वर्णित भूमि का हिस्सा 1/2 अविभाजित को विक्रय करना चाहता है तथा केंद्री

4.9.11 अमिताभ
उप-मंजीयक
जयपुर-सुदीप

(Indu Chaudhary)

क्रमांक... 86... दिनांक... 18/08/2010

मूल्य... ~~10000~~ + ~~5000~~ = 15000/-

नाम.....

पिता/पति.....

पता.....

व्यक्ति.....

किंकि शिक्षा समिति नाम...
अप/अ शौमली इंदु-बेदी

Raksh

राजेश कुमार कर्करा

सा.स. विभाग

विश्व नगर, रायचूर जयपुर

जन्म नं. 21/10-11

18/08/2010



उक्त वर्णित भूमि के हिस्से को अपने लिये क्रय करना चाहती है, अतएव प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त वर्णित कृषि भूमि वाके-ग्राम कालवाड पटवार हल्का कालवाड तहसील एवम जिला जयपुर के अन्तर्गत खाता संख्या-514 (पुराना नम्बर-452) के अन्तर्गत खसरा नम्बर 815/1 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा स्थित का हिस्सा 1/2 अविभाजित को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकारों मय इसमें स्थित छोटे मोटे पेड़ पौधों मय हक काशत सहित को मुबलिय 11,00,0000/-रुपया अक्षरे ग्यारह लाख रुपये मात्र के बदले में उक्त वर्णित क्रेत्री-द्वितीयपक्ष विवेक शिक्षा समिति, रजि० नं० रजि० नं० 453, जयपुर-2007-8, कालवाड तहसील व जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्रीमति इन्दू चौधरी धर्मपति श्री योगेश बिन्दा जाति जाट उम्र करीबन 30 वर्ष नि० गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, तहसील व जिला जयपुर राज० को अन्तिम रूप से बेचान कर दिया है तथा उक्त विक्रेता ने उक्त क्रेता से समस्त विक्रय राशि 11,00,000/-रुपया अक्षरे ग्यारह लाख रुपये मात्र जरिये बैंक नम्बर 205991 दिनांक 18/08/2010 बैंक-जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा झोटवाडा फाटक, कांटा चौराहा, कालवाड रोड, जयपुर के द्वारा इस लेख-पत्र पर निम्न दो हस्ताक्षर कर्ता गवाहान के समक्ष प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति उक्त प्रथमपक्ष विक्रेता इस लेख-पत्र में स्वीकार करता है, अब प्रथमपक्ष विक्रेता को उक्त क्रेत्री से विक्रय राशि में से शेष कुछ भी लेना-देना नहीं रहा है, और न ही भविष्य में रहेगा।

यह है कि विक्रय शुदा कृषि भूमि रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा का हिस्सा 1/2 अविभाजित पर विक्रेता ने उक्त वर्णित क्रेत्री का मालिकाना कब्जा भौतिक रूप से करवा दिया है जो प्रथमपक्ष विक्रेता में इस लेख-पत्र में स्वीकार करता है। अब उक्त वर्णित क्रेत्री उक्त वर्णित विक्रय शुदा भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग एवम उपभोग में लेंगे तथा इसमें स्वयं काशत करेगी व अन्य से काशत करवावेगी एवम अपने धन से विकसित

277 सितंबर

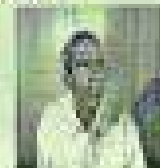
Indu Chaudhary



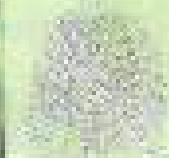
FROM THE
HIS-111

अनन्तशक्ति

Thank



Indy
Candell



27.2.2017



सू. ४५



दस्तावेज, 14/05/2020

2008 08 28

करेगी, तथा हर प्रकार का लाभ अर्जित करेगा, इसका लगान अपने नाम से सरकार ने जमा करावेगी उक्त विक्रय शुदा कृषि भूमि को हर प्रकार से विकसित एवम्, रहन, बय, विक्रय आदि के द्वारा इस्तान्तरित करके हर प्रकार का लाभ का फायदा अर्जित करेगी।

यह कि उक्त विक्रय शुदा भूमि से अब विक्रेता व विक्रेता के उत्तराधिकारी व स्थानापन आदि का कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व वास्ता नहीं रहा है और ना भविष्य में किसी प्रकार का होगा।

यह कि उक्त विक्रय शुदा भूमि के बाबत में अन्य कोई दूसरा व्यक्ति अपने खातेदारी व स्वामित्व हकों का किसी प्रकार का दावा व विवाद उत्पन्न करे तो इनकी जिम्मेवारी विक्रेता स्वयं की होगी, तथा उसका निपटारा व सुलटारा विक्रेता अपने स्वयं के धन से करेगा।

यह है कि बाकें-ग्राम कालवाड पटवार हल्का कालवाड तहसील एवम् जिला जयपुर के अन्तर्गत खसरा नम्बर 815/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा स्थित का हिस्सा 1/2 अधिभाजित कृषि भूमि को अब इस विक्रय पत्र के द्वारा प्रथमपक्ष विक्रेता के स्थान पर उक्त वर्णित क्रेत्री को नाम से राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण नियमानुसार खुलवाने का तथा तस्दीक अपने नाम से कराने का समस्त राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है, तथा भविष्य में रहेगा, इसमें प्रथमपक्ष विक्रेता के बयानों व हस्ताक्षर व स्वयं की उपस्थिति की आवश्यकता होगी, तो उक्त वर्णित विक्रेता उक्त क्रेत्री के हित में विक्रय का बयानात दे देगा, तथा अपने हस्ताक्षर कर देगा, जो भी मदद होगी करेगा, तथा इस विक्रय पत्र के द्वारा बाला-बाला भी विक्रय शुदा भूमि का राजस्व रेकार्ड में उक्त क्रेत्री नामान्तरण अपने नाम से करवाने का भी पूर्ण हक व अधिकार होगा।

यह कि विक्रय शुदा भूमि मुख्य रोड व आबादी से 1/2 किलोमीटर

(Indu Chaudhary)

2.7.21 श्रीता 21/21

से अधिक दूरी पर स्थित है, एवम कृषि भूमि की किस्म बारानी है, तथा इसमें एक पानी का बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन का हिस्सा 1/2 भी सम्मिलित है। उक्त विहीनी भूमि कृषि भूमि है, तथा कृषि के प्रयोजनार्थ ही उपयोग व उपयोग में आ रही है। इसलिये विक्रय शुदा भूमि वर्तमान मार्केट वैल्यू से अधिक नहीं है।

अतः यह विक्रय-पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी राजी-खुशी की अवस्था में बिना किसी नशे पते के कीमती स्टाम्प 15,000/- रुपया किता दो किता व तीन किता पाई पेरों पर निम्न दो हस्ताक्षर कर्ता गवाहान के समक्ष इस लेख-पत्र की समस्त ईबारतों को भली प्रकार से पढ़, सुन व समझ एवम सोच करके अपने हस्ताक्षर एवम अंगूठा निशानी कर दी है, कि शकत जरूरत वक्त आवे ओर प्रमाण रहे इति दिनांक 18/अगस्त/2010

हस्ताक्षर विक्रेता/प्रथमपक्ष - (श्री सीता राम)

पेन नम्बर-

हस्ताक्षर क्रेत्री/द्वितीयपक्ष -

(विवेक शिक्षा समिति, रजि० न० 453 जयपुर 2007-8, कालवाड जरिबे
अध्यक्ष श्रीमति इन्दू चौधरी)

पेन नम्बर- AA BT V 03610

हस्ताक्षर गवाह

हस्ताक्षर गवाह मोहन

मोहन पुत्र रामचन्द्र

जो कलपुत भाग्य क-दे-र-दि-मो-दे-पा-ल

कलपुत जयपुर



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

B 131208



:: श्री ::

॥ दान पत्र (Gift Deed) ॥

विवेक चिल्ड्रन एकेडमी शिक्षा समिति स्थित कालवाड़,
तहसील व जिला जयपुर, रजि. नम्बर 25/86-87 जरिये अध्यक्ष श्री

Handwritten signature

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

Handwritten signature

3 JAN 2008

1988

...

...

...

...

...

विशेष जिला समिति समिति 400/07-08

...

...

...

...

हरि सिंह जाट

...

...

...

...

3 JAN 2008

...

...

...



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

B 131209



U1398 SPLADH राजस्थान
104036 MAY 01 2008

12:09
R.0214300/-PB6662

COMP. CIVIL RAJASTHAN

2

योगेश चौधरी पुत्र श्री श्री नरसी राम, निवासी कालवाड़, तहसील व
जिला जयपुर-विक्रेता, जिसे इस लेख पत्र में "प्रथमपक्ष दानदाता"
के नाम से जाना जावेगा, की ओर से :-

ब ह क

विवेक शिक्षा समिति रजि. नम्बर 453/2007-08, प्रधान
कार्यालय : कालवाड़, तहसील व जिला जयपुर जरिये सचिव श्री पदम
सिंह ढाका पुत्र स्व. गोपीराम, निवासी प्लाट नम्बर 1, ढाका नगर,

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

Padam Singh

हरि ज्ञान
का. म. वि. नि. नं.
जिलाधीन
हा संस्था १९७४ साल की ओर
छिरसी रोड, अमृतसर

आज दिनांक 1 मई मई सन 2008 को 12:48 PM बजे
 श्री/श्रीमती/शुश्री YOGESH CHAUDHARY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARSI RAM
 उम्र _____ वर्ष, जाति JAT व्यवसाय BUSINESS
 निवासी VILL. KALWAR TEH. & DIST JAIPUR AS PRESIDENT VIVEK CHALDERNS
 ACADEME SHIKSHA SAMITI
 के मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2008397008857)
(Giri Deed)

हस्ताक्षर उप धंजीवक,
JALPUR-V,
सब रजिस्ट्रार, जबपुर
धंजम

रजिस्ट्रार नं०	[2008397009176]
दिनांक	[1-5-2008]
पंजीकृत शुल्क रु०	25000
प्रतिलिपि शुल्क रु०	0
पट्टीकृत शुल्क रु०	200
अन्य शुल्क रु०	0
कमी स्वाम्य शुल्क रु०	90
कुल योग रु०	25290

(2008397008857)
(Gift Deed)

उपपंजीयक, JAIPUR-V
सत्य रजिस्ट्रार, जयपुर
पं. १०००





सिरसी रोड़, जयपुर (राज.) दानग्रहिता, जिसे इस दान पत्र में आगे
“द्वितीयपक्ष दानग्रहिता” शब्द से सम्बोधित किया गया है।

जो कि ग्राम कालवाड़, तहसील व जिला जयपुर में कृषि भूमि
खसरा नम्बर 874 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर
869/1164 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त वर्णित
खसरा नम्बरान् में से खसरा नम्बर 874 में श्रीमती रुकमणी देवी के
हिस्से 01 बीघा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 869/1164 में श्रीमती
रुकमणी देवी के हिस्से 03 बिस्वा, इस प्रकार श्रीमती रुकमणी देवी
की कुल भूमि 01 बीघा 07 बिस्वा में से 08 बिस्वा भूमि को
प्रथमपक्ष शिक्षा समिति ने जरिये अध्यक्ष जयन्त चौधरी के द्वारा जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 26 दिसम्बर 2005 को
श्रीमती रुकमणी देवी पत्नी श्री पदमसिंह ढाका से क्रय कर कब्जा
मालिकाना मौके पर वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिया, जो विक्रय पत्र
कार्यालय उप पंजीयक जयपुर तृतीय के यहां क्रम संख्या
2005005871, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 245 में पृष्ठ संख्या
27 पर दिनांक 28/12/2005 को नियमानुसार दर्ज एवं पंजीबद्ध है
जिसकी कॉपी अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1002 के
पृष्ठ संख्या 311 से 322 पर चरपा की गयी है। इस प्रकार प्रथमपक्ष
शिक्षा समिति ही क्रयशुदा उपरोक्त वर्णित आराजीयात् रकबा 08 बिस्वा
सम्पूर्ण कृषि भूमि की एकमात्र मालिक, स्वामी व काबिज, काश्तकार है

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

Handwritten signature
Handwritten signature

उत्तर श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 - YOGESH CHAUDHARY / NARSI RAM

उम्र - 0 वर्ष जति - JAT, व्यवसाय - BUSINESS

निवासी - VILL. KALWAR TEH. & DIST JAIPUR AS PRESIDENT
VIVEK CHALDERNS ACADEME SHIKSHA SAMITI

Signature

Photo

Thumb



(And Claimant)

1 - PADAM SINGH DHAKA / GOPI RAM DHAKA

उम्र - 0 वर्ष जति - JAT व्यवसाय - BUSINESS

निवासी - 1 DHAKA NAGAR VILL. SIRSI TEH. & DIST JAIPUR
JAIPUR AS DIR. VIVEK SHIKSHA SAMATI JAIPUR



मैं लेखपत्र Gift Deed को पढ़ चुका हूँ व समझकर निष्पादन करना स्वीकार
किया। प्रतिफल राशी रु० _____ पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे
से रु० _____ पूर्व में _____ मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार
किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री HARI SINGH DHAKA

पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री SHRI KALYAN MAL Ji

उम्र - 34 वर्ष जति-JAT व्यवसाय -SERVICE

निवासी DHAKA NAGAR SIRSI ROAD, JAIPUR.,



2- श्री/श्रीमती/सुश्री VISHAL CHOUDHARY

पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री PADAM SINGH DHAKA

उम्र - 26 वर्ष जति-JAT व्यवसाय -BUSINESS

निवासी 1 DHAKA NAGAR SIRSI ROAD JAIPUR.,



वे की है जिनके समक्ष हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ के निशान मेरे समक्ष लिये
गये हैं।

(2008397008857)

Gift Deed

उप फील्ड, जायपुर
सब रजिस्ट्रार, जायपुर-V
पंचम



तथा उपरोक्त वर्णित शिक्षा समिति की कृषि भूमि पर वर्तमान में जरिये अध्यक्ष श्री योगेश चौधरी काबिज चला आ रहा है तथा आज से पूर्व श्री योगेश चौधरी या उक्त भूमि के अन्य किसी भी अध्यक्ष ने प्रथमपक्ष शिक्षा समिति की उक्त भूमि सम्पूर्ण या इसके किसी भी हक व भाग को आज किसी भी संस्था या बैंक आदि को रहन, विक्रय, बख्शीश या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित आदि नहीं किया है। उक्त प्रथमपक्ष शिक्षा समिति की कृषि भूमि सम्पूर्ण प्रथमपक्ष दानदाता की ओर से प्रत्येक प्रकार के ऋण भार, झगड़ा-टण्टा, वाद-विवाद सरकारी, अर्द्ध सरकारी व जनसाधारण इत्यादि से मुक्त पाक व साफ है जिसको हर प्रकार से अपने उपयोग-उपभोग में लेने व हर प्रकार का लाभ अर्जित करने के तमाम मालिकाना स्वत्वाधिकार मुझ दानदाता प्रथमपक्ष को जरिये अध्यक्ष प्राप्त हैं।

यह कि दानदाता प्रथमपक्ष उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि में अपनी क्रयशुदा भूमि रकबा 08 बिस्वा भूमि को दानग्रहिता द्वितीयपक्ष के के हित में दान करना चाहता है। अतएव दानदाता प्रथमपक्ष ने शिक्षा समिति के निर्देशानुसार जरिये अध्यक्ष उक्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 874 खसरा नम्बर 869/1164 में से क्रयशुदा 08 बिस्वा भूमि वाके-ग्राम कालवाड़, तहसील व जिला जयपुर स्थित को अपने सम्पूर्ण अधिकारों मय हक काश्त, पानी-पूला, पेड़-पौधे इत्यादि सहित बिना रखे किसी भी हक व अंश के बिना किसी प्रतिफल के "द्वितीयपक्ष दान-ग्रहिता" विवेक शिक्षा

सब राजस्त्रार, जयपुर
पंचम

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पर
वही मालिकाना हक 5361904
मानले हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
रशि 90 पर कमी पंजीयन शुल्क रुपये 25000 कुल रुपये 25090 जशिये रसीद संख्या
[2008397009176]
दिनांक [1-5-2008] में जमा किये गये है।
अतः दरतावेज की रुपये 214483
के मुद्रांकों पर विधायित माना जाता है।

(2008397008857) उप पंजीयन, JAIPUR-V
(Gift Deed)

आज दिनांक 1/5/2008 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 194
में पृष्ठ संख्या 152 क्रम संख्या 2008397005705 पर
पंजीयन किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 764
के पृष्ठ संख्या 5 से 18
पर चरपा किया गया।

(2008397008857)
Gift Deed

सब निसदर, जयपुर
उप पंजीयन, JAIPUR-V
पंजीयन



समिति रजि. नम्बर 453/2007-08, प्रधान कार्यालय : कालवाड़,
तहसील व जिला जयपुर जरिसे सचिव श्री पदम सिंह का पुत्र स्व.
गोपीराम, निवासी प्लॉट नम्बर 1, दाको नगर, सिरसी रोड़, जयपुर
(राज.) के हित में अन्तिम रूप से दान कर दिया है।

यह कि प्रथमपक्ष ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर
874 खसरा नम्बर 869/1164 में से क्रयशुदा 08 बिस्वा भूमि
वाके-ग्राम कालवाड़, तहसील व जिला जयपुर स्थित को
दानग्रहिता-द्वितीयपक्ष के हित में दान कर मालिकाना कब्जा भौतिक
रूप से करवा दिया है तथा अपने स्वयं के समान काबिज व अधिकारी
बना दिया है। इस प्रकार अब दानशुदा रकबा 08 बिस्वा भूमि से
दानदाता प्रथमपक्ष का व इसके उत्तराधिकारियों, स्थानापन्नो, वारिसानों,
एजेन्टों, प्रतिनिधियों आदि का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है तथा
ना ही भविष्य में रहेगा। अब दानग्रहिता को अधिकार है कि वह उक्त
दानशुदा कृषि भूमि सम्पूर्ण को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से
हस्तान्तरित करावे, आबादी भूमि में परिवर्तित करवाना चाहे तो
नियमानुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा चाही गयी राशि जमा करवाकर
आबादी भूमि में परिवर्तित करावे तथा अपनी ईच्छानुसार उपयोग एवं
उपभोग में लेकर किसी भी प्रकार से रहन, विक्रय व हस्तान्तरित आदि
कर फायदा उठावें, इसमें प्रथमपक्ष को व उसके उत्तराधिकारियों को
किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर

Padam Singh
Padam Singh

यह कि दान की गयी कृषि भूमि मुख्य रोड़ एवं आबोदी से काफी अधिक दूरी पर स्थित है।

यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 874 खसरा नम्बर 869/1164 में प्रथमपक्ष द्वारा स्वयं की दान की गयी सम्पूर्ण भूमि रकबा 08 बिस्वा वाके-ग्राम कालवाड़, तहसील व जिला जयपुर स्थित सम्पूर्ण के बाबत् अब द्वितीयपक्ष दानग्रहिता को अधिकार है कि वह इस लेख पत्र के आधार पर समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों जैसे राजस्व विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण आदि में प्रथमपक्ष दानदाता के नाम के स्थान पर अपना नाम अंकित करवा लेवे, उक्त कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से नामान्तरकरण तस्दीक करवाकर प्रत्येक प्रकार से उपयोग-उपभोग में लेवे व हर प्रकार से लाभान्वित होवे।

यह कि दान की गयी कृषि भूमि के बाबत् किसी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं हुआ है तथा यह दान स्नेहवश किया गया है।

यह कि उक्त दानग्रहिता विवेक शिक्षा समिति रजि. नम्बर 453/2007-08, प्रधान कार्यालय : कालवाड़, तहसील व जिला जयपुर जरिये सचिव श्री पदम सिंह ढाका पुत्र स्व. गोपीराम, निवासी प्लॉट नम्बर 1, ढाका नगर, सिरसी रोड़, जयपुर (राज.) ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 874 खसरा नम्बर 869/1164 में प्रथमपक्ष द्वारा स्वयं की दान की गयी भूमि रकबा 08 बिस्वा सम्पूर्ण

सब रजिस्ट्रार, जयपुर

Radam Singh

को सहर्ष उपहार (दान) में लेना स्वीकार करके अपनी सहमति के हस्ताक्षर इस लेख पत्र में कर दिये हैं।

अतः यह दान पत्र दोनों पक्षों ने अपने-आपने स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी नशे, पते व बिना किसी दाब-दबाव व बहकावट के 100/-रुपये के दो किता मुद्रांक पत्रों व पाँच पेपरों पर लिखवाकर इसकी सम्पूर्ण ईबारत को भली प्रकार पढ़कर, सुनकर, समझकर तथा स्वीकार करके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं प्रमाणित रहे और समय पर काम आवे। इति दिनांक :

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष दानदाता

Prinada
सहायक
विवेक चिन्तन परामर्श विद्या व
अध्यक्ष
विवेक शिक्षा समिति
कालपाड़, जयपुर

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष दानग्रहिता

Lada Lila DE
सचिव
विवेक शिक्षा समिति
कालपाड़, जयपुर

हस्ताक्षर गवाह :-

1. *Indu Chaudhary*

Indu Chaudhary w/o Yogesh B.
370, A-Block - Kardhani, Ground
Jaipur.

2. *Hansia*

Hansia Singh & Radha mal
Choudhary Dharman agar

सब राजस्त्रार, जयपुर
संभव

Sh's Ramesh JPR

परिशिष्ट -13
भूमि- भवन प्रमाण पत्र प्रारूप

क्रमांक- राजस्व/रीक्षणिक/जयपुर/1308

दिनांक - 13.08.2024

द्वारा, तहसील- जयपुर, जिला- जयपुर।

सेवा में
अनुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर



विषय: भूमि-भवन प्रमाण पत्र
सचिव विवेक शिक्षा समिति कालवाड, जयपुर द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व भवन की जांच की गई।

निकाय विवरण निम्नानुसार है -

1. भूमि का पता - जयपुर जौबनेर रोड, गीब कालवाड, तहसील- जयपुर
2. अवस्थिति - कालवाड, जयपुर

	जयपुर, जौबपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण) क्षेत्र	अन्य शम्भागीय मुख्यालय (सभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नम्बर	874,869/1164, 815/1	कालवाड	जयपुर ग्रामीण	-	-
भूमि का वर्ग मीटर का माप	8812.11 वर्ग मीटर	-	-	-	-
भूमि का प्रकार यथा रीक्षणिक / संस्थागत / आवासीय / वाणिज्यिक / कृषि भूमि	रीक्षणिक	-	-	-	-

जमाबंदी अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या/संख्याओं की भूमि पर एकजुट/लगाया है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में सचिव विवेक शिक्षा समिति कालवाड जयपुर के नाम दर्ज

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का प्रस्तावित/संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।



Kanishk
सहसंचालक
तहसील, जयपुर

27 SEP 2024